कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा। पत्रांक 1006 /14-1(49462/2020) ,आगरा, दिनांक, २७ ,सितम्बर, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बॉईपुर विषय:-एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बाईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना

वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का सन्दर्भ :-पत्रांक-8बी/यू०पी०/०९/९४/२०२३/एफ.सी./४९९ दिनांक ०२.०२.२०२४ एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 11-सी-1951/49462/2020 दिनांक 06.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव की भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति सशर्त प्रदान की गई है। प्रस्ताव के शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों, प्रमाण पत्र आदि सहित पोर्टल पर अपलोड कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्रांक 1151/14-1 दिनांक 20.09.2024 (संलग्न है) तारा इस कार्यालय को पाप्त हुई है के आधार पर अन्या निम्नवत पेषित है :-

	है) द्वारा इस कार्यालय की प्राप्त हुई है, के आधार पर आर	ख्या निम्नवत् प्राषत ह :
क0सं0	शर्त	अनुपालन
1.	The legal status of the land remains unchanged	इस आशय की वचनवद्वता अपलोड है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.9024 ha. Non forest land in Madayana Gram Samaj, Range Fatehabad District Agra at the cost of the User Agency. As far as practicable a mizture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	शर्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण की राज्ञिक 18,33,300.00 ऑनलाइन पोर्टल से निर्गत चाला के माध्यम से दिनांक 23.02.2024 द्वारा जमा करा व गयी है। चालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रि अपलोड है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the	शर्त का अनुपालन किया गया है।
	prevailing wage rates as per compensatory	
	afforestation scheme and the cost of survey,	
	demarcation and erection of permanent pillars if	
	required on the CA land shall be deposited in	
	advance with the Forest Department by the	
	project authority. The CA plantation will be	
	maintained for 10 years. The scheme may	
	include appropriate provision for anticipated cost	
	increase for works scheduled for subsequent years.	
4.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is	शर्त का अनुपालन किया गया है।
1 14	handed overby the user agency.	
5.	The non-forest land proposed for CA shall be ransferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि खतौनी में वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गयी है जिसका भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 का प्रस्ताव इस कार्यालय की पत्र संख्या-546/14-1 दिनांक 09.08. 2024 द्वारा उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा चुका है (छायाप्रति संलग्न है) जो उच्च स्तर पर प्रकियाधीन है।
6.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.9024 ha. Forest area to be	शर्त के अनुपालन में एन०पी०वी० की राशि रू० 8,64,301.00 ऑनलाइन पोर्टल से निर्गत चालान के

OM/Draftman/Draftman letter

	diverted under this proposal from the User Agency as	माध्यम से दिनांक 23.02.2024 द्वारा जमा करा गयी है। चालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्र
1.31	the orders of the Hon'ble Supreme Court of India	अपलोड है।
	20/10/2002 (01/08/2003, 28/03/2008,	। अपलाञ्च र ।
	to 19000 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C)	
	No. 202/1995 and as per the guideline+s issued by the	
	No. 202/1995 and as per the galesment's issued by Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18-	[1] : 이번 경기가 되었습니다 스타스 (1) 개념성공
	Ministry vide letters No. 5-1/1598-1 C(Ft.II) dated 18	
	Ministry vide letters is letter No. 5-2/2006-FC dated 09-2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated	[. 1 1] [[쇼트 : 1] 하는 1 [] [스트 : 1] [- 1] [
	03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.	[일일 - 1] 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	amount of NPV as applicable as per order	[:] - [-] - [] - [] - [-] -
	dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deported	
	by User Agency in this regard.	इस आशय की वचनवद्वता अपलोड है।
	Additional amount of the NPV of the diverted forest	इस आशय का वयनवहता जनता उ
7.	land, if any, becoming due after finalization of the	
	same by the Hon'ble Supreme Court of India on	그 이 글 그가 있다. 그리고 말했다
a	same by the non-ble subjettle court of male of	
	receipt of the report from the Expert Committee, shall	
	be charged by the State Government from the User	
	Agency. The User Agency shall furnish an undertaking	
-	to this effect.	० आसीन है।
8.	No tree felling shall be done in TTZ area during	इस आशय की वचनवद्वता अपलोड है।
0.	execution of project works without prior	
_	approval of Hon'ble Supreme Court.	
9.	KML file, Geo-reference & toposheet map of	शर्त का अनुपालन किया गया है।
٠.	proposed forest land need to be uploaded.	
- 12		अपलोड है।
10.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall	of the Ci
	be ensured by way of prescribed certificate from	
	the concerned District Collector.	
11	No Violation of FCA certificate from concerned	अपलोड है।
11.		
	DFO shall be provided.	
12.	User Agency shall obtain Environmental	इस आशय की वचनवद्वता अपलोड है।
245 G	Clearance as per the provisions of the	
	Environmental (Protection) Act, 1986 if	
rse .	applicable.	
13.	The llayout plan of the proposal shall not be	इस आशय का वचनवहता अपलाउ है।
	changed without prior approval of Central	
	Government.	
14.	No labour camp shall be established on the	इस आशय की वचनवद्वता अपलोड है।
±.7.	forest land.	ાર હું આવેલ વસ વસાયા અવલાલ હું !
<u> </u>		
15.	Sufficient firewood, preferably the altenmate	इस आशय की वचनवद्वता अपलोड है।
, 3.L.	fuel, shall be provided by the User Agency to the	
	labourer after purchasing the same from the	
	1	
	Development Corporation or any other legal	
	source of alternate fuel.	
16.	The boundary of the diverted forest land shall be	इस आग्रम की वहरू
	suitably demarcated on ground at the project	इस आशय की वचनवद्वता अपलोड है।
	cost as per the directions of the project	
	cost, as per the directions of the concerned	
	Divisional Forest Officer.	
17.	No additional or new path will be constructed	इस आशय की वचनवद्वता अपलोड है।
	inside the forest area for transportation of	ं न नमापक्षता अपलाड है।
	construction materials for execution of the	
	project work.	
18.		
το.	The period of diversion usder this approval shall	शर्त का अनुपालन किया गया है।
	be co-terminus with the period of lease to be	ા મામાં મુંબા કૃ
	granted in favour of the user agency or the	
	project life, whichever is less.	
19.	The forest land shall not be used for any purpose	
	other than that specified in the project proposal.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
and the second second	The street will appellied in the project proposal	■ ** 그렇게 하면 되었다. ** *********************************

	그러는 이번에 되었다. 이 물로 보면서 이 없는 사람이 되었다. 나를 하는 살 모든 살 없었다. 그렇게 되었다.	
20.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, departmentor person without	शर्त का अनुपालन किया गया है।
	prior approval of Govt. Of India. The KML file of the area for diverson and area	शर्त का अनुपालन किया गया है।
21.	proposed for plantation shall be uploaded on the	
	to some commencement of works.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
22.	The violation of any of the conditions stiopulated under this approval will be liable to the cognizance	
	and appropriate action under MoEFCC rules and	
	Guidelines as applicable specifically MoEFCC	[- 조금의 기계 - 전기를 하다면 하다.
	Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of	
	the rank of Divisional Forest Officer (DFO) /Deputy	
	Conservator of Forest (DCF) and above of the State	
	Government or Unio territory Administration	
	concerned, having jurisdiction over the forest land in	
	respect of which any offence under the Forest	
	(Conservation) Act, 1980 is committed or violation of	
	the provisions of the said Act has been made , to file complaints against such	
	complaints against such person/authority/organization, prima-facie found	
	guilty of offence under the Act or the violation of the	
	rules made there under, in the court having	
	jurisdiction in the matter.	
23.	Violation of any of these conditions will amount to	अपलोड है।
	violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action	
	would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No.	
	11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	इस आशय की वचनवद्वता अपलोड है।
24.	Any other condition that the Ministry of	इस अशिव यम पवनावद्वता अवलाख है।
a	environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of	6
	conservation protection and development of	
	forest &wildlife.	
25	All the funds received from the user agency	शर्त का अनुपालन किया गया है
25.	under the project shall be transferred/ deposited	रात का अनुवादान विभाग नेपा है
	to CAMPA fund only through e-portal	
	(https://parivesh.nic.in).	
26.	compliance report shall be uploaded on e-	शर्त का अनुपालन किया गया है।
20.	portal(https://parivesh.nic.in).	वस मा अप्रालग विभागवा विभागवा
100	विषयांकित प्रस्तात में अनुरोध है कि प्रस्तात प	

विषयांकित प्रस्ताव में अनुरोध है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

(डॉo अनिल कुमार पटेल) वन संरक्षक,

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके पत्रांक 1151/14-1 दिनांक 20.09.2024 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, ग्रामीण आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (डॉ0 अनिल कुमार पटेल) वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

OM/Draftman/Draftman letter .

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा। /14-1 दिनांक : आगरा : सितम्बर २०,2024 1151 पत्रांक

सेवा में,

सन्दर्भ

वन संरक्षक

आगरा वृत्त, आगरा।

जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा वॉईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बांईपुर वन ब्लाक, बावरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की विषय

0.9024 हे0 आरक्षित वनमूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक—8बी/यू०पी०/09

/94/2023/एफ.सी./499 दिनांक 02.02.2024

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र के द्वारा सैद्वान्तिक महोदय.

स्वीकृति निर्गत की गयी है जिसका अनुपालन प्रयोक्ता द्वारा निम्न प्रकार किया गया है जिसकी अनुपालन आख्या संस्तुति सहित

आपकी सेता में पेषित है :-

रिष्ट्रपार ।ग	म्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित है :	
क0सं0	शर्त	अनुपालन
1.	The legal status of the land remains unchanged	इस आशय की वचनवद्वता अपलोड है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.9024 ha. Non forest	शर्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण की राजि रू० 18,33,300.00 ऑनलाइन पोर्टल से निर्गत चाला
	land in Madayana Gram Samaj , Range Fatehabad	के माध्यम से दिनांक 23.02.2024 द्वारा जमा करा व गयी है। चालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रि
	District Agra at the cost of the User Agency. As far as practicable a mizture of local indigenous species will	अपलोड है।
	be planted and monoculture of a species has to be avoided.	
3.	The cost of compensatory afforestation at the	शर्त का अनुपालन किया गया है।
	prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey,	
	demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance	
	with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years.	
	The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for	
	subsequent years.	
4.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed overby the	शर्त का अनुपालन किया गया है।
	user agency.	
5.	The non-forest land proposed for CA shall be	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि खतौनी में वन विभाग
	ransferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II	के नाम दर्ज कर दी गयी है जिसका भारतीय वन
	approval. A copy of the original notification declaring	अधिनियम, 1927 की धारा—29 का प्रस्ताव इस कार्यालय की पत्र संख्या—546/14—1 दिनांक 09.08.
	the non-forest land under Section 4 or Section 29 of	2024 द्वारा उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा चका है
	the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be,	(छायाप्रति संलग्न है) जो उच्च स्तर पर प्रकियाधीन है।
	will be submitted by the State Government at the time	
6.	of submission of compliance of AIP. The State Government shall charge the Net Present Value	
	(NPV) for the 0.9024 ha. Forest area to be diverted under	शर्त के अनुपालन में एन०पी०वी० की राशि रू० 8,64,301.00 ऑनलाइन पोर्टल से निर्गत चालान के
	this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA	माध्यम से दिनांक 23.02.2024 द्वारा जमा करा दी गयी है। चालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति
	issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998 FOOR IN	अपलोड है।
	dated 18-09-2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per order dated 06-01-2022	

T	and 19	9-01-2022 shall be depoited by User Agency in this	
7.	Additany, Hon't from Gove	ional amount of the NPV of the diverted forest land, if becoming due after finalization of the same by the ble Supreme Court of India on receipt of the report the Expert Committee, shall be charged by the State emment from the User Agency. The User Agency shall shan undertaking to this effect.	इस आशय की वचन यद्वता अपलोड है।
8.	exec	tree felling shall be done in TTZ area during cution of project works without prior approval lon'ble Supreme Court.	इस आशय की यचन यद्वता अपलोड है।
9.	KN pro	IL file, Geo-reference & toposheet map of posed forest land need to be uploaded.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
10	co	e complete compliance of the FRA, 2006 shall be sured by way of prescribed certificate from the neerned District Collector.	अपलोड है।
1		o Violation of FCA certificate from concerned DFO all be provided.	अपलोड है।
1	p	ser Agency shall obtain Environmental Clearance as er the provisions of the Environmental (Protection) act, 1986 if applicable.	इस आशय की वचन वहता अपलोड है।
	13. T	The llayout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
		No labour camp shall be established on the forest land.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
		Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
		The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस आशय की वचन बद्धता अपलोड है।
	17.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	
	18.	The period of diversion usder this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	
	19	than that specified in the project proposal.	
	20	circumstances be transferred to any other agencies, departmentor person without prior approval of Govt.	
	21	green watch portal with all requisite details before	
	22	the conditions stippulated under this	

La habe	1	[마장 - 경토에서, 유민이 하면도 경기에 병대는 물리이다. 영원에 하늘하는 뭐, 생겨워가 보다면	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE
	<i>[</i>	(DFO) /Deputy Conservator of Forest (DCF) and above of the State Government or Unio territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Forest (Conservation) Act, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made there under, in the court having jurisdiction in the matter.	
	23.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	अपलोड है।
		Any other condition that the Ministry of environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forest & wildlife.	
		All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://pariyesh.pic.in)	
	26.	compliance report shall be uploaded on e-portal(https://parivesh.nic.in).	शर्त का अनुपालन किया गया है।

भवदीय

A. Fee

(आदर्श कुमार) प्रभागीय निदेशक सामाजिकवानिकीप्रभाग, असू

पत्रांक

दिनांकित

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ०प्र० जल निगम ग्रामीण आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(आदर्श कुमार) प्रभागीय निदेशक सामाजिकवानिकीप्रभाग, आगरा

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा। दिनांक : आगरा : सितम्बर्20,2024 पत्रांक 1151/ 14-1

सेवा में.

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी

ত্ত০प्र० लखनऊ।

विषय

जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बॉईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बांईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8वी/यू०पी०/०९

/94/2023/एफ.सी./499 दिनांक 02.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र के द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है जिसेका अनुपालन प्रयोक्ता द्वारा निम्न प्रकार किया गया है जिसकी अनुपालन आख्या संस्तुति सहित

	नेम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित है : शर्त	अनुपालन
क0सं0	रात	
1.	The legal status of the land remains unchanged	इस आशय की वचनवद्वता अपलोड है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.9024 ha. Non forest land in Madayana Gram Samaj, Range Fatehabad District Agra at the cost of the User Agency. As far as practicable a mizture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	शर्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण की राशि रू० 18,33,300.00 ऑन लाइन पोर्टल से निर्गत चालान के माधयम से दिनांक 23.02.2024 द्वारा जमा करा दी गयी है। चालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति अपलोड है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance	शर्त का अनुपालन किया गया है।
	with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	
4.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed overby the user agency.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
5.	The non-forest land proposed for CA shall be ransferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि खतौनी में वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गयी है जिसका भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा—29 का प्रस्ताव इस कार्यालय की पत्र संख्या—546/14—1 दिनांक 09.08 2024 द्वारा उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा चुका है (छायाप्रति संलग्न है) जो उच्च स्तर पर प्रकियाधीन है।
6.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.9024 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guideline+s issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18-09-2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per order dated 06-01-2022	शर्त के अनुपालन में एन०पी०वी० की राशि रू० 8,64,301.00 ऑनलाइन पोर्टल से निर्गत चालान के माधयम से दिनांक 23.02.2024 द्वारा जमा करा दे गयी है। चालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति अपलोड है।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा। पत्रांक / 14–1 दिनांक : आगरा : सितम्बर्२०, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी

ত্ত০प्र० लखनऊ।

विषय

जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बॉईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बांईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन् ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की

0.9024 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू०पी०/09

/94/2023/एफ.सी./499 दिनांक 02.02.2024

महोदय.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र के द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है जिसका अनुपालन प्रयोक्ता द्वारा निम्न प्रकार किया गया है जिसकी अनुपालन आख्या संस्तुति सहित बिन्दवार निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित है :—

क0सं0	शर्त	अनुपालन
1.	The legal status of the land remains unchanged	इस आशय की वचनवद्वता अपलोड है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.9024 ha. Non forest land in Madayana Gram Samaj, Range Fatehabad District Agra at the cost of the User Agency. As far as practicable a mizture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	शर्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण की राशि रू० 18,33,300.00 ऑन लाइन पोर्टल से निर्गत चालान के माधयम से दिनांक 23.02.2024 द्वारा जमा करा दी गयी है। चालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति अपलोड है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance	शर्त का अनुपालन किया गया है।
	with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	
4.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed overby the user agency.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
5.	The non-forest land proposed for CA shall be ransferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP.	प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि खतौनी में वन विभाग वे नाम दर्ज कर दी गयी है जिसका भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा—29 का प्रस्ताव इस् कार्यालय की पत्र संख्या—546/14—1 दिनांक 09.08 2024 द्वारा उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा चुका है (छायाप्रति संलग्न है) जो उच्च स्तर पर प्रकियाधीन है।
6.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.9024 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guideline+s issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18-09-2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per order dated 06-01-2022	शर्त के अनुपालन में एन0पी0वी0 की राशि रू0 8,64,301.00 ऑनलाइन पोर्टल से निर्गत चालान के माधयम से दिनांक 23.02.2024 द्वारा जमा करा दी गयी है। चालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति अपलोड है।

-	and 19-01-2022 shall be depoited by User Agency in this	
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
8.	No tree felling shall be done in TTZ area during execution of project works without prior approval of Hon'ble Supreme Court.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
9.	KML file, Geo-reference & toposheet map of proposed forest land need to be uploaded.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
10.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	अपलोड है।
11.	No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	अपलोड है।
12.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
13.	The llayout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
14.	No labour camp shall be established on the forest land.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
15.	Sufficient firewood, preferably the altenmate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
16		
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
18		शर्त का अनुपालन किया गया है।
19	than that specified in the project proposal.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, departmentor person without prior approval of Govt. Of India.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
21	proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
22	The violation of any of the conditions stiopulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer	शर्त का अनुपालन किया गया है।

	(DFO) /Deputy Conservator of Forest (DCF) and above of the State Government or Unio territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Forest (Conservation) Act, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made there under, in the court having jurisdiction in the matter.	
23.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018,	
24.	Any other condition that the Ministry of environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forest &wildlife.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
25.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in).	शर्त का अनुपालन किया गया है
26.		शर्त का अनुपालन किया गया है।

भवदीय **A**'स्प्

(आदर्श कुमार) प्रभागीय निदेशक सामाजिकवानिकीप्रभाग, असुन्ति

पत्रांक

दिनांकित

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ०प्र० जल निगम ग्रामीण आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(आदर्श कुमार) प्रभागीय निदेशक सामाजिकवानिकीप्रभाग, आगरा

	110.01.00	
1 10	and 19-01-2022 shall be depoited by User Agency in this regard.	
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	
8.	No tree felling shall be done in TTZ area during execution of project works without prior approval of Hon'ble Supreme Court.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
9.	KML file, Geo-reference & toposheet map of proposed forest land need to be uploaded.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
10.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	अपलोड है।
11.	No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	अपलोड है।
12.	per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
13.	The llayout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
14.	No labour camp shall be established on the forest land.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
15.	Sufficient firewood, preferably the altermate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
16.		इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
17.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
18.	The period of diversion usder this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
19.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
20.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, departmentor person without prior approval of Govt. Of India.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
21.	The KML file of the area for diverson and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
22.	The violation of any of the conditions stiopulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer	शर्त का अनुपालन किया गया है।

	(DFO) /Deputy Conservator of Forest (DCF) and above of the State Government or Unio territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Forest (Conservation) Act, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made there under, in the court having jurisdiction in the matter.	
23.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	अपलोड है।
24.	Any other condition that the Ministry of environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forest &wildlife.	इस आशय की वचन वद्वता अपलोड है।
	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in).	शर्त का अनुपालन किया गया है
26.	compliance report shall be uploaded on e-portal(https://parivesh.nic.in).	शर्त का अनुपालन किया गया है।

भवदीय

तः भिर्म्प√ (आदर्श कुमार) प्रभागीय निदेशक सामाजिकवानिकीप्रभाग, आसूरा

पत्रांक 1151 / दिनांकित

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ०प्र० जल निगम ग्रामीण आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

भिष्य (आदर्श कुमार) प्रभागीय निदेशक सामाजिकवानिकीप्रभाग, आगूरा



pmypcuagra@gmail.com

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)

वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

प्र4 / नगीम गर्ग आगरी / ५१० दिनांक १२.०४. २०२५ पत्रांक

सेवा में.

प्रभागीय निदेशक. सामाजिक वानिकी प्रभाग. आगरा।

जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा बांईपुर एवं विषय:-शहर रेंज के अंतर्गत डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बाईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर—वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, समाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्रांक 2968/14-1 आगरा दिनांक 05.02.2024.

महोदय.

उपरोक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र सं. 8बी / यू०पी० / 09 / 94 / 2023 / एफ सी. / 499 दिनांक 02.02.2024 के द्वारा जनपद आगरा में आगरा सीवरेज योजना (आई० एण्ड डी० एण्ड एस.टी.पी. वर्क्स) में प्रस्तावित ०७ नग डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बाईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत

Sr.	Conditions	Compliance
No.		
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त संख्या– 1 के अनुपालन में वचनबद्धता
		प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest	शर्त संख्या–2 आपके कार्यालय से संबन्धित है।
	Department in an area of 0.9024 ha. Non Forest Land (NFL) in	
	Madayna Gram Samaj, Range Fatehabad, District Agra at the cost	
	of the user agency. As far as practicable a mixture of local	
	indigenous species will be planted and monoculture of a species	
	has to be avoided.	A 100 for at 100 10 10 11 11 11 11 11
. 3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage	शर्त संख्या–3 के अनुपालन में क्षतिपूरक
12	rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of	वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष के रखरखाव हेतु धनराशि
	survey, demarcation and erection of permanent pillars if	रू० 1833300.00 की धनराशि को ऑनलाइन
	required on the CA land shall be deposited in advance with the	पोर्टल के माध्यम से जनरेट खाता
-	Forest Department by the project authority. The CA will be	सं. 1509019949462294 में आई०एफ०एस०सी०
	maintained for 10 years. The scheme may include appropriate	कोड UBIN0996335 दिनांक 23.02.2024 को
	provision for anticipated cost increase for works scheduled for	जमा किया जा चुका है, जिसकी पेमेन्ट हिस्टी
16 44	subsequent years.	संलग्न है।
4	Forest land will be handed over only after required non-forest	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में जिलाधिकारी
	land for the project is handed over by the user agency.	महोदय के पत्र सं0 २३५८/डीएलआरसी दिनांक
		22.08.2023 द्वारा व्रन विभाग के नाम हस्तांतरित
		की जा चुकी है तथा गजट नोटिफिकेशन आपके
		कार्यालय द्वारा अपेक्षितं है।

Mo Agra.

. 5	Tri	
	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and matter than 187 (197)	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में जिलाधिकारी
1	"" " " use name of rolest Department and notition as KR/PR	महोदय के पत्र सं0 2668/डीएलआरसी दिनांक
	prior to Stage-II approval. A copy of the original notification	22.08.2023 द्वारा क्रन विभाग के नाम हस्तांतरित
	declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of	22.08.2023 धारा भूगा विभाग वर्ग ता अधिनियम
F. M. C.	the Indian Forest Act 1027 and the Indian Forest Act 1027	की जा चुकी है एवं भारतीय वन अधिनियम
	the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the	1927 (यथा संशोधित) की धारा 4 या धारा 29
+ 701	State Forest Act as the case may be, will be submitted by the	के अन्तर्गत संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित
Marie .	State Government at the time of submission of compliance of	कराने हेतु कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन
	AIP.	रांरक्षक, आगरा जोन, आंगरा के पत्र संख्या
		1933/14-1 दिनांक 09.04.2024 द्वारा मुख्य वन
		रारक्षक, भू-अभिलेख बदोवरत, उ०प्र० लखनऊ
1		को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा
\$ 100 M	· And	
		चुका है।
. 6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV)	शर्त संख्या-6 के अनुपालन में प्रभावित वनभूमि
	for the 0.9024 ha, forest area to be diverted under this proposal	0.9024 हे0 का N.P.V. रू. 864301.00 की धनराशि
	from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme	E-Payment Portal के माध्यम से उत्तर प्रदेश
	Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008,	कैम्पा के खाते में जमा करा दी गयी है। जिसकी
2.	24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No.	पेमेंट हिस्ट्री संलग्न है।
	202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide	410 101%
	letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as	
	letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC	
-	dated 05/02/2009. And 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022	
	in this regards.	
		शर्त संख्या–७ के अनुपालन में वचनबद्धता
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any,	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
	becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रमाण-पत्र संस्था पर प्राम्य र ।
	Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert	
	Committee, shall be charged by the State Government from the	
1	User Agency. The User Agency shall furnish as undertaking to	
	this effect.	्रं व्यापना में बनावदवा
8	No tree felling shall be done in TTZ area during execution of	शर्त संख्या–8 अनुपालन में वचनबद्धता
	project works without prior approval of Hon'ble Supreme	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
	Court	*
9	KML file, Geo-reference & toposheet map of proosed forest	शर्त संख्या-9 अनुपालन में वचनबद्धता
	land need to be uploaded.	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
10	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by	शर्त संख्या–10 के अनुपालन में वचनबद्धता
10	way of prescribed certificate form the concerned District	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
-	Collector.	
-	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be	शर्त संख्या–11 के अनुपालन में वचनबद्धता
11	1.	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
	provided.	शर्त संख्या–12 के अनुपालन में वचनबद्धता
12	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the	
1 .	provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
	applicable.	
13	The layout plan of the proposal shall not be changed without	शर्त संख्या—13 के अनुपालन में वचनबद्धता
	prior approval of Central Government.	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
14	No labour camp shall be established of the forest land.	शर्त संख्या–14 के अनुपालन में वचनबद्धता
14	140 tabout camp shall be established of the	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
	1 C. 11 de les fuel chell ha	शर्त संख्या–15 के अनुपालन में वचनबद्धता
15	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
1	provided by the User Agency to the labourer after purchasing	איוויין אא אויויין איז אויינו פו
	the same from the State Forest Department or the Forest	
	Development Corporation or any other legal source of alternate	
	fuel.	mf river 40 x 200000 h
16	The boundary of the diverted forest land shall be suitably	शर्त संख्या–16 के अनुपालन में वचनबद्धता
1	demarcated on ground at the project cost, as per the directions	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
	of the concerned Divisional Forest Officer.	1. V
17	No additional or new path will be constructed inside the forest	शर्त संख्या–17 के अनुपालन में वचनबद्धता
17	area for transportation of construction materials for execution of	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
	the project work.	
t .,	the broject work	

18		
10	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be approval.	शर्त संख्या—18 के अनुपालन में वचनबद्धता
2. J.	with the period of lease to be granted in favour of the user	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
	agency or the project life, whichever is less.	प्रमाण-पत्र सलग्न कर प्राप्ता है।
29	The forcet land 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>
1	The forest land shall not be used for any purpose other than that	शर्त संख्या-19 के अनुपालन में वचनबद्धता
-	specified in the project proposal.	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
20	The forest land prposed to be diverted shall under no	शर्त संख्या—20 के अनुपालन में वचनबद्धता
100	circumstances be transferred to any other agencies, department	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
130	or person without prior approval of Govt. Of India.	the state of the s
21	The KML file of area proosed for diversion and area proposed for	शर्त संख्या—21 के अनुपालन में प्रमाण—पत्र
	plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with	संलग्न कर प्रेषित है।
	all requisite details before commencement of works.	
22	The violation of any of the conditions stipulated under this	शर्त संख्या—22 के अनुपालन में वचनबद्धता
	approval will be liable to the cognizance and appropriate action	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
	under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically	प्रमाण-पत्र संस्था प्रत्य प्रापत है।
	MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of	
1.	the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator	
	of Forests (DCF) and above of the State Government or Union	
1 4.	territory Administration concerned, having jurisdiction over the	
	forest land in respect of which any offence under the Forest	
	(Conservation) Act, 1980 is committed or violation of the	
-	provisions of the said Act has been made, to file complaints.	
	against such person / authority / organization, prima-facie	
	found guilty of offence under the Act or the violation of the rules	
	made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.	
23	Violation of any of these conditions will amount to violation of	शर्त संख्या–23 के अनुपालन में वचनबद्धता
	Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
	per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt	
	29/01/2018.	
24	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests &	शर्त संख्या—24 के अनुपालन में वचनबद्धता
	Climate Change may stipulate from time to time in the interest of	प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
	conservation, protection and development of forests & wildlife.	
25	All the funds received from the user agency under the project	शर्त संख्या–25 के अनुपालन में वचनबद्धता
. 25		प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
	shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-	ו א חושר אל אומים לא אואנו פו
	portal (https://parivesh.nic.in/).	
100		
26	The compliance report shall be uploaded on e-portal	शर्त संख्या—26 के अनुपालन में वचनबद्धता
	(https://parivesh.nic.in/).	प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्ताुनसार

(रविन्द्र प्रतीप सिंह) परियोजना प्रबन्धक

पृ.सं. एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 1. मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०),उ०प्र० जैंल निगम (ग्रामीण) आगरा ई—मेल द्वारा। 2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा ई—मेल द्वारा।

परियोजना प्रबन्धक



वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

Hair				
4710	 	/	दिनांत	5
				1′

शर्त संख्या-1 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उँठेंप्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनमूमि के गैर—वानिकी प्रयोग की अनुमित के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—1 के अनुसार "Legal status of the Forest Land Shall remain unchanged" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

A Ken

प्रभामीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग, क्यार (रविन्द्र प्रताप प्रिंग प्रताप प्रामीण), आगरा

2255725

AGENCY COPY







12.

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 14-02-2024

Agency Name.	YAMUNA POLLUTION CONTROL UNIT I UP JAL NIGAM AGRA
Application No.	19949462294
MoEF/SG File No.	8B/UP/09/94/2023/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Yamuna Pollution Control unit UP Jal Nigam, Water Works Choraha, Jeevani Mandi Road, AgraAgra
Amount(in Rs)	2697601/-

Amount In Words :Twenty-Six Lakh Ninety-Seven Thousand Six Hundred and One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509019949462294 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only BANK COPY







NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date: 14-02-2024

Agency Name.	YAMUNA POLLUTION CONTROL UNIT I UP JAL NIGAM AGRA
Application No.	19949462294
MoEF/SG File No.	8B/UP/09/94/2023/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Yamuna Pollution Control unit UP Jal Nigam, Water Works Choraha, Jeevani Mandi Road, Agra Agra
Amount(in Rs)	2697601/-

Amount in Words :Twenty-Six Lakh Ninety-Seven Thousand Six Hundred and One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509019949462294 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, Ill Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

 This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Uttar Pradesh Campa UTR No- UTIBR5202402230068400-Rs- 26,97,601/-

परियोजना प्रस्थान बनुना प्रपृष्ण निवंत्रम हवाई का पर प्रसादित्तर (प्राचीक) का प्रतिहरत्ताक्षरित

A Few

ंप्रभागीय निदेशक सामानिक वातिकी प्रभाग

Gange, Agra Sewage (I & D TP/UP/Others/49462/2020 OSTP in scheme of Nameni Works) in Agra Uttarpradesh and for construction of diversion of Reversed forest OTHERS494522020294 Application_No Application No 19949462294 (New) Date of IN-02 Feb 2024 PRINCIPLE NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : CA: PCA: Safety Zone: Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.) 00 999 864301/-1833300/- ; Addi CA: Other Charges: Addl PA : 2222 Payment Status Payment Detail Fund Demand Verified by Nodal Officer On Challan Generated On Transaction Date **Mode of Payment** Bank Name :NEFT/RTGS (Challan) :23 Feb 2024 :23 Feb 2024 :14 Feb 2024 :Union Bank Of India Demand Lefter Generated Challan Serial Letter





2355723



्वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा – 282 004

पत्राक		/	
1 711 47	******************	/	

दिगांक

शर्त संख्या-3 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मर्फ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनमूमि के गैर—वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु .परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—3 के अनुसार "The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

AFen

अनारगोड्ड । सामानिक वालि । प्रयम् (रविन्द्र प्रताप सिंही प्रताप सिंही प्रताप सिंही प्रताप सिंही स्वाप निर्माण सिंही स्वाप सिंही स



वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

				0	
पत्राक	/			दिनाक	
		 the sale	* , .		

शर्त संख्या-4 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग की अनुमित के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—4 के अनुसार "Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency." के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा हैण्डओवर की जा चुकी है। वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

A' term

प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग अ (रविन्द्र प्रताप कि निवंत्र परियोजना जुन स्वित्र प्रामान). यमुना प्रदूषणकि वित्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), Contract of the last of the la

गर्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

(पता- ताजमहत्त पूर्वी गेट, ताजगंज, आगरा) 🏭 Email : dfoagra@gmail.com 🔠 Ph. No/Fax-. 0562-2331297

546 1144

आगरा : दिनांकः

०९ अगस्त, 2024

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा। जनपद आगरा में क्षतिपूरक वनींकरण हेतु गैर वन भूमि ग्राम—मड़ायना, क्षेत्रफल—0.9024 हैं0 तहसील—फतेहाबाद का भारतीय वन अधिनियम, 1927 (यथा संशोधित) की धारा—29 के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कराने हेतु प्रेषित प्रस्ताव। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / प्रभारी मुख्य वन संरक्षक, भू—अभिलेख एवं बन्दोवस्त, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक— 369 / 11—बी—6 (धारा—29) दिनांक 01.05.2024, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०.लखनऊ का पत्रांक—37 / 11—बी—6 (क्षतिपूरक) दिनांक 30.07.2024, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,आगरा जोन,आगरा का पत्रांक— 267 / 2—1 दिनांक 01.08.2024 एवं आपका पत्रांक— 462 / 14—1 दिनांक 02.08.2024

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद आगरा में क्षितिपूरक रण हेतु गैर वन भूमि ग्राम—मड़ायना, क्षेत्रफल—0.9024 है0 तहसील—फतेहाबाद का भारतीय वन अधिनियम, (यथा संशोधित) की धारा—29 के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कराने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय पत्र संख्या— 4477/14—1 दिनांक 20.03.2024 से आपको प्रेषित किया गया था। जिसमें आपके द्वारा अपने गर्यालय का पत्रांक—3352/14—1 दिनांक 05.04.2024 के द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा को प्रेषित करते हुए उनके द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी मुख्य वन संरक्षक, भू—अभिलेख एवं बन्दोवस्त, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में उनके द्वारा उक्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरान्त बिन्दु सं० 1 से 3 तक लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर मूल प्रस्ताव दो प्रतियों में इस कार्यालय के पत्र संख्या—5686/14—1 दिनांक 20.06.2024 जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी मुख्य वन संरक्षक, भू—अभिलेख एवं बन्दोवस्त, उ०प्र०, लखनऊ को सम्बोधित करते हुए सीधे प्रस्ताव पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया गया था। जिस पर पुनः आपत्ति लगाई गई कि प्रस्ताव वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा के माध्यम से भिजवाया जाये उक्त के अतिरिक्त दिनांक 07.08.2024 को होने वाली बैठक में प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण करवाया गया। उक्त बैठक में मात्र दो किमयाँ दर्शायी गयी थी जिनका पुनः निराकरण कर दिया गया है।

अतः पत्र के आलोक में आपसे अनुरोध है कि प्रभाग स्तर से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा— 29 का प्रस्ताव 04 प्रतियों में मय सी०डी० के साथ भेजा जा रहा है जिसमें स्वंय प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा से भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवाते हुए उच्च स्तर को भेजने की कृपा करें।

संलग्नक- मूल प्रस्ताव की 4 प्रति मय सी०डी० सहित।

भवदीय

A'Frand

(आदर्श कुमार) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक *546* /

14.1

समदिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(आदर्श कुमार) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।


y



श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो ।

प्राम क्रमांक: 125103








(I) खाता संख्या - naver	तहसीत: फतेहाबाद जनपद: आगरा फसती वर्ष: 1426-1431 (01 जुताई, 2018 से 30 पून, 2024) भाग: 1	जनपद: आगरा	तहसील: फतेहाबाद	ग्राम का नाम (परगर्ना): मेंड्रायना(फतेहाबाद)
ग क्रमांक : 12510320240654	स्थाना उद्धरा	उद्धरण खताना		

खात्दार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमें का विवरण	खातदार का अंश	
खसरा (2) गाटा नाम्भित-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / पाति कोड / आधार नं0 संख्या (अन्तिन चार अंक) अथवा पैन नं0 (८९ स्थान के अंक) / पता / चन्पतिथि (अव्यक्ष हेत्र)	(१) न्यायासय का नाम / कम्पूटरीकृत बाद संख्या अथवा आदेख वर्ष संख्या / आदेख का दिनांक / जीत का आधार	(9) गाटा (पूनीक कोड) गाटे बा जुत थेनकत (ते)	रू स्थित	9 द्यावेदार द्वारो से भूराबन्त
42मि0 ।) प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Plantation)পূবন বিশাग के निर्देन पर प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग/आगरा 2) बेहरा/नि ग्राम	1) अन्य /266&DLRC /22-08-2023 /अधिग्रहण	42Pa(1251030047208864) 67.0360	100 1)· 1)0.9024 ;;	0.00
		4.24	67.0360	
कुत गांटे एक कुत क्षेत्रक्त कः साव दरमतव सून्य तीन सः सून्य (हेक्टेयर) ' कुत भ्रराजस्त शून्य दर्यमतव सून्य सून्य रुपये	-राजस्व - शून्य दयमतव शून्य शून्य रुपये 🌎 कुत अंश का क्षेत्रफत्त - छः साव दशमतव शून्य तीन छः शून्य (हेक्टेपर)	ातव शून्य तीन छः शून्य (हेक्टेयर)		
नासान्तरण/परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया		्रदर्ज किया गया	
(10) न्यायावय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्वरम्म का आधार / डिजिटत इस्ताक्षर नाम / डिजिटत इस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षकः गाटे का खसरा नम्बर / क्षेत्रफल प्रबंधक का नाम / जाति कोड पूनीक कोड (है) /आधार नंo (अन्तिम चारं अंक) अथवा पैन नंo (६-) स्थान के अंक) / पता / पन्मतिथि (अवयरक हेतु)	(14) नाम / पिता-पित-संत्सक- गाटे क प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार ने० (अन्तिम चार अंक) अथवा पेन नं० (६-९ स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेत्र)	(15) गाटे का असरा नम्बर / यूनीक कोड	(16).
1) अन्य 7266&/DLRC 722-08-2023 /अधिग्रहण /BHAVANI SINGH /19-02-2024	1.1) बेहडा/नि. प्राम (थेष 42मि०(1251030042208864) 1.1) क्षेत्रफत: 66.1336) 0.9024	1.1) प्रतिपूरक वनीः हरण 42मिल्। (Compensatory Plantation)	42用(11251030042208864)	L1)
		वन विभाग के निर्वन पर प्रभागीय निदेशक सामाजिक		
(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्पूटरीकृत संख्या :		HETTER JOHNS		A Land
(18)वंधकावंधक-मुक्त होने की स्थिति (18.1)वंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा वेंक का नाम/कोडावंधक का दिनांक/पनरामिकिट्सेन्स्स्थारिकीरेतर(पिता-पति-संरक्षक)) :		J.Kin		
। १४.२)चंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा र्वेक का नामाकांड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराचि। आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)	काधनरायाः आवेदन संख्यात्खातेदाराधिता-पति-संरक्षकः।	भूगोंन		
(19)अंग्युवित	्त्रभागात स्थानमा । इस्तान स्थानमा ।	64 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
		5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	





है। 129फ व आदेय श्रीमन उप जिल्लाधिकरी महोत्वाद के आदेच दिनांक 24.12.2012 के अनुपातन में कार्यात्वाद कितान महोत्वाद के महिता के प्रतिक्र के कार्य श्रीमन उप विकाश महोत्वाद के अदेच दिनांक 24.12.2012 के अनुपातन में कार्यात्वाद कितान महोत्वाद के अतंत्व श्रीमन उप जिल्लाधिकरी महोत्वाद के अतंत्व श्रीमन उप जिल्लाधिकरी महोत्व के अतंत्व श्रीमन के अतंत्व श्रीमन के जिल्लाधिकरी के प्रतिक्र के अतंत्व श्रीमन के अतंत्व के अतंत्र के अतंत्र के अतंत्व के अतंत्र के अतंत्व के अतंत्र के अतंत्र क रकचार १००० हैं। में से 22.000 हैं) भूने तो किया को 10 वर्ष के विये दो जाती है उन्हें। भूने पुरस्तानित प्रम सभा मंडापना का रहे गाँव भूम के स्वामित में केई परिवर्तन नहीं किया जायेगा हारा प्रमावती हरणक्र दिनके अस्तामित प्रमान Data Digitally Signed by: BHAVANI SINGH (RI OFFICE) दिनोन्सनसम्बद्धानः ३.४५,७५७ स्टब्स्सा तहस्तितः करोमगर O यह उद्देश करोनी हतेन्द्रोनेन क्षित्रेस्पी सिरम्य प्रय तैयार की गयी है तथ करत क्षित्रेस्य हत्वाकर प्रय हत्ताकरित है। "मुद्रित कर्ता : NATTH! LAL तहसीत : फतेहाबाई ... मुद्रित दिनोक एवं समय: 00-06-2021 07.20:11 क्तृत्रेतेत्त्वेत्ते हुन्तां में Websise पर पाकड़ अर्पया QR Code Scan करके किया पा सकता है। O Not Applicable For Online Prime O उपयोज्य उद्दाण खतीनी का वेरीकिकेयन Impell प्रमानीस विदेशक सामाजिक वानिका प्रमान क्राफ्रेट्र प्राक्षित 272133

सामानिक वानिको प्रभाग अगरा

प्रतिहरताक्षरित

सामाजिक क्रानिकी हराहत् THE P

आगरा

क्षिण उनस्थान प्रत्यान के अत्य बंध्य 10 व मेज मंडापना के अत्य बंध्या 42मि पर उप जिलाधिकारी महोदयं के आदेय दिनोक 04.06.2022 के मुटिपूर्ण अमतदरामद दिनोक 07.06.2022 की प्रविद्धि निरस्त की भावी है राजिक विनोक 14.06.2022 के मुटिपूर्ण अमतदरामद दिनोक 07.06.2022 की प्रविद्धि निरस्त की भावी है राजिक विनोक 14.06.2022 के मुटिपूर्ण अमतदरामद दिनोक 07.06.2022 की प्रविद्धि निरस्त की भावी है राजिक विनोक 14.06.2022

स्त्री प्राप्त प्राप्त स्त्रीकृत पत्रावली दिनोक ०४.०६.२०२२ के अनुसार आदेश जिलाधिकारी महोदय आगता के पत्रीक रोख्या १२०६प्त-१७१४ डिनोक २६०२.२०२२ व पत्रीक रोख्या १२०५प्त-१७१८ डिजोक १८०६ व १८०५ व १८०४ व १८० व १८०४ व १८० व १



वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

		•
पत्रांक	 	दिनाक
4314		

शर्त संख्या-5 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनभूमि के गैर—वानिकी प्रयोग की अनुमित के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—5 के अनुसार "The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance of AIP." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग र (रविन्द्र प्रताप सिंह) परियोजना प्रवस्तिक नवंत्रण स्वर्ण यमुना प्रदूषण नियुष्ट्रीय स्वर्ण (ग्रामाण), जागा उ०प्र० जल निर्मम (ग्रामीण),

आगर



वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

		- Burn	 			~ ·	
पत्रांक		1		1.	7	दिनाक	
4714	********************************			/ ,		1	

शर्त संख्या-6 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषय: यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनभूमि के गैर—वानिकी प्रयोग की अनुमित के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—6 के अनुसार "The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.9024 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. And 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 in this regards." के अनुपालन में प्रभावित वनभूमि 0.9024 है0 का NPV रू. 864301.00 की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से ऑनलाइन पेमेन्ट दिनांक 23.02.2024 को उत्तर प्रदेश कैम्पा के खाते में UTR No. UTIBR52024022300368400 के माध्यम से जमा करा दी गयी है।

प्रतिहस्ताक्षरित

AFW

प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग आप (रविन्द्र प्रताप (रहि) नियंत्रण परियोजना प्रयन्धिनगर (रयमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा



वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

					, .
पत्रांक	w 3 - 12 -	/	1	दिनांक -	100
المالم	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· 2.4		144147	
	•				

शर्त संख्या-7 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनमूमि के गैर-वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—7 के अनुसार "Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government form the User Agency. The User Agency shall furnish as undertaking to this effect." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

A. Ken

प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग (रविन्द्र प्रताप सिंह) प्रमण प्रति प्रति



वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

			A-i-	
पत्रांक			दिनांक	
	 •	And the second state of		

शर्त संख्या-8 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे0 आरक्षित वनमूमि के गैर-वानिकी प्रयोग की अनुमित के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं ज़ुलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—8 के अनुसार "No tree felling shall be done in TTZ area during execution of project works without prior approval of Hon'ble Supreme Court" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरितं

A'Y

प्रभागीय निदेशक
सामानिक वानिकी प्रभाग (भूगि)



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,

यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जलं निगम (ग्रामीण) वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा – 282 004

ais.	,		,	दिनांक	***************************************
।त्राक	 	The state of	4.1		

शर्त संख्या-9 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग की अनुमित के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—9 के अनुसार "KML file, Geo-reference & toposheet map of propsed forest land need to be uploaded" के अनुपालन में परिवेश पोर्टल पर पूर्व में ही अपलोड किया जा चुका है। वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

भूभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग हैं (रविन्द्र प्रताप सिंह) परियोजना प्रवन्द्रीय नवंत्रण कर्मा यमुना प्रदूषण नियुद्धाण होत्रा (प्रामीण), जान्त्र उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

Government of Uttarpradesh Office of the District collector Agra (U.P.)

REF: Menof 14-1

Dated 04-9-84

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment & Forest (MOEF) Government of India letter no. 11-09/98-FC (pt.) 28th October 2014. It is certify that. **0.9024 Ha**. Of forest land proposed to be diverted in Favour of U.P. Jal Nigam Rural, Agra For construction of DSTP In Artoni , Baipur, Mau and Taj Forest Block for Tehsil- Sadar District-Agra fall in Jurisdiction of Artoni , Baipur, Mau and Taj Forest Block in Sadar Tehsil. in District-Agra .

It is certified that the proposal does not involve Recognized right of primitive tribal groups and pre agriculture communities and the forest land proposed to be diverted in a plantation which was notified as Forest less than 75 years prior to 13th Dec. 2005 and is located in Artoni , Baipur, Mau and Taj Forest Block Tehsil- Sadar District-Agra having no recorded population of scheduled tribes as per the census of 2001 & 2011.

व्यानाव निवेदान वासादिक वानिकी व्यास

District Magistrate
(Agra)


CERTIFICATION OF THE PERSON

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ०प्र० जल निगम ग्रामीण आगरा द्वारा बॉईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी.एस.टी.पी. के निर्माण हेतु बॉईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक, एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन की अनुमित विषयक प्रस्ताव का निरीक्षण किया गया जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

100 Bafun

A-Ku-बभागाय ।नवस्रक श्रामांबन्ड वानिकी स्थान



वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा — 282 004

	10	7. 1		1		2 1 - 1 A 3
पत्राक	/		- 1	f	देनांक	
	•		./		41141	

शर्त संख्या-12 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनमूमि के गैर—वानिकी प्रयोग की अनुमित के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—12 के अनुसार "User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

भूष्ण प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग, शिरा (रविन्द्र प्रताप्तिके प्रतापतिके प्रता



वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

पत्रांक	1	/	दिनां क	


शर्त संख्या-14 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनमूमि के गैर—वानिकी प्रयोग की अनुमित के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—14 के अनुसार "No labour camp shall be established of the forest land" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

• प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग,शुरा (रविन्द्र प्रताप सिंह) परियोजना पूर्वस्ति निरंग वर्षा यमुना प्रदूषण्य सिंग्लस देकाईणमाण). आग उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा





कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,

यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा – 282 004

			•	,		
न्त्रांक		1		1	दिनांव	F
1414	**********************	/		1		

शर्त संख्या-15 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र


विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनभूमि के गैर—वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—15 के अनुसार "Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department of the Forest Development Corporation of any other legal source of alternate fuel" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

A. Kun

प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग (रविन्द्र प्रताप सिंह) जन प्रमुख परियोजना प्रमुख नियंत्रण म्याना प्रतिकारी नियंत्रण म्याना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (प्रामीण),





वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

		 	 /		दिनाक	******
ারাক	/		,	•		

शर्त संख्या-16 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनमूमि के गैर-वानिकी प्रयोग की अनुमित के सम्बन्ध में।


भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—16 के अनुसार "The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग (रविन्द्र प्रताप सिंह) परियोजना प्रवेद विकास यमुना प्रदूषण नियस्तिमाइकाइ, जा उ०प्रठ जल निगम (ग्रामीण),

आगरा

STATE OF THE PARTY.



क मो0 नं0 : 09473942644,

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)

वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

पत्रांक		1 :		दिनांक .	
	HT. 1	•		 14.1147	

शर्त संख्या-17 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषय: यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, ७०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बाईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे0 आरक्षित वनमूमि के गैर-वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु-17 के अनुसार "No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग,

(रविन्द्र श्रॅताप उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)



CHANGE OF THE PARTY.

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)

वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

Halia				,	· -	•
पत्राक	***************************************	/	•	- /	िदनाक	
	95 T 4	•				


शर्त संख्या-18 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, ज़ु0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनभूमि के गैर—वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायुं परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—18 के अनुसार "The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग, (रविन्द्र प्रताप सिंह)
परियोजना प्रवेचेत्र
यमुना प्रदूषण कवित्र हैक्ट्रिकेन), जन्म





वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

	• • •			1			
पत्रांक	/		4.4		/	दिनांक	
	,		1 1				,

शर्त संख्या-19 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊन्वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनमूमि के गैर—वानिकी प्रयोग की अनुमित के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—19 के अनुसार "The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

A-Ken

प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग भूगि (रविन्द्र प्रताप सिंह)
परियोजना प्रमुख्याना प्रवच्या यमुना प्रदूषण निम्नानप्रकृष्टकी इंग्रन्थ इकार उ०प्र० जलकामम (प्रामीण)

आगरा



वाटर वर्क्स घौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा – 282 004

Haria		 	to a final transfer of		the second section
पत्राक	***************************************			1	दिनांक
				/	14 1147

शर्त संख्या-20 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनभूमि के गैर—वानिकी प्रयोग की अनुमित के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—20 के अनुसार "The forest land prposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. Of India" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

AFEN

प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग,३ (रविन्द्र-प्रताप सिंह)
परियोजना प्रविन्द्र-प्रताप सिंह)
यमुना प्रदूषण नियु नियम स्वाप सिंह।
उ०प्र० जल नियम (ग्रामीण),



वाटर वृद्धर्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा – 282 004

- ·				1,11			
पत्रांक	******************************	/			,	A	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
		1. 1. 1				दिनाक	

शर्त संख्या-21 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनमूमि के गैर—वानिकी प्रयोग की अनुमित, के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—21 के अनुसार "The KML file of area proosed for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works" के अनुपालन में The KML file अपलोड की जा चुकी जा चुकी है। वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग (रविन्द्र-प्रताप सिंदीन प्रवास परियोजना प्रवास कार्य कार्य परियोजना प्रवास कार्य कार्य यमुना प्रदूषण निर्मेन्द्रमा इंगीई, जामण, जामण उठाउँ से उठाउ



वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा — 282 004

naix	•	,
पत्राक		/

दिनांक	

शर्त संख्या-22 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः

यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनमूमि के गैर—वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—22 के अनुसार "The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Forest (Conservation) Act, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person / authority / organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित n/F

प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग प्रिय (रविन्द्र प्रताप सिंह) परियोजना प्रबद्धानी प्रमुना प्रदूषण निस्त्रण इस्पेइ, उ०प्रं0 जल निगम (ग्रामीण),

आगर



वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

Taria				,
पत्रांक				
*		/	दिनांक	

शर्त संख्या-23 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बाईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु-23 के अनुसार "Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

ंप्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग,

(रविन्द्र प्रताप उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)



वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

naia		दिनांक	
पत्राक		13.00	

शर्त संख्या-24 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग की अनुमित के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—24 के अनुसार "Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

A. Ku

प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभागनाम् (रविन्द्र-प्रताप सिंह)त प्रदेशका प्रतिकार प्रति

आगरा



वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

पत्राक			1.0	7	*
1714	***************************************			A	
			/	दिनाक	
		' Y .	•		***************************************

शर्त संख्या-25 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 है0 आरक्षित वनमूमि के गैर-वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—25 के अनुसार "All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)" के अनुपालन में वांछित धनराशि को उत्तर प्रदेश कैम्पा खाते में जमा करा दी गयी है, वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित १ फ्र

प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रभाग (रविन्द्र प्रताप सिंह)
परियोजना प्रवृत्तिक निवंत्रण कर्णा यमुना प्रदूषण नियंत्रण कर्णाई(प्रामीण), जागर उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

भागा



वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा - 282 004

•			•	- 4			
पत्राक	 /			· /		दिनांक	
	 			. /	- 1	1 7 11 1	

शर्त संख्या-26 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

विषयः यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा द्वारा जनपद आगरा के बांईपुर वन व्लाक, बाबरपुर वन व्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग की अनुमित के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के बिन्दु—26 के अनुसार "The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहरताक्षरित

A. Ken

प्रभागीय निदेशक सामानिक वानिकी प्रमाम्स्य (रविन्द्र प्रताप सिंह)
परियोजना प्रकार प्रवास प्यास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवा

आगरा